मुंशीराम

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य आदि।

(आपराधिक अपील क्रमांक 515-516 वर्ष 2018)

अप्रैल 09, 2018

[एन.वी.रमना और एस.अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - गुंजाइष - आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप वाली एफआईआर को रद्द करना - मृतक के पिता द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उनकी बहू और उसके परिवार ने उनके बेटे और पूरे परिवार को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी - फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की लिखावट और सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट में समानताएं थीं - उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कथित अपराध नहीं बनता है - अपील पर, कहा गया: प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करते समय धारा 482 का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने समय से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया -अदालत ने उस जांच को रद्द कर दिया, जिसमें आत्महत्या से पहले मृतक की किसी पूर्व मानसिक स्थिति के अस्तित्व या गैर-मौजूदगी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों का पता लगाने की आवश्यकता थी - चूँकि, जाँच लंबित थी और ऐसे पहलू थे जिनकी जाँच की आवश्यकता थी, आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है - जांच अधिकारियों को जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया - दंड संहिता 1860 — धारा 306 - जाँच पड़ताल।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1. उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा उचित जांच किए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट को समय से पहले रद्द कर दिया है। इस अदालत ने कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रद्द कर दिया है कि ऐसे मामलों में जांच जारी रखना केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक की लिखावट और सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट में समानताएं हैं। जांच लंबित थी और ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की आवश्यकता हो सकती है, उच्च न्यायालय ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए बिना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने में गलती की। मृतक की स्थिति और आत्महत्या करने के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों के संबंध में आक्षेपित निर्णय के तहत प्रदान किए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त की स्वीकृति सीआरपीसी की धारा 482 के तहत स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं होगी। जांच अधिकारियों को तत्परता से जांच पूरी करने और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 11, 12, 13 और 15] [851-ई-जी; 853-ए-बी, डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 515-516 वर्ष 2018

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ, जयपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरुद्ध एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 2372 वर्ष 2014 और 3508 वर्ष 2014 में।

मनीष के. बिश्नोई, देवांश श्रीवास्तव, सुश्री इला हल्दिया अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

आर. एस. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पशुपति नाथ राज़दान, मिर्ज़ा कायेश बेग, मिलिंद कुमार, वरुण खन्ना (अविनाश कुमार के लिए) उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें एसबी आपराधिक विविध याचिका संख्या 2372 वर्ष 2014 और 3508 वर्ष 2014 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश, दिनांक 15.04.2015 के खिलाफ निर्देशित हैं। जिसमें हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 318 वर्ष 2013 को निरस्त कर दिया।

3. इससे पहले कि हम मामले का विश्लेषण करें, इस मामले के तथ्यों का अवलोकन करना आवश्यक होगा जिसने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म दिया। यहां अपीलकर्ता के मृत बेटे (बृजेश सिंह) की शादी प्रतिवादी नंबर 2 - पत्नी (खुशबू) से 10.2.2008 को हुई थी। उपरोक्त विवाह से, जोड़े को 29.10.2009 को एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पत्नी ने पिछले मौकों पर अपने पति के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं, जिनमें अंततः समझौता कर लिया गया था। इसके अलावा, पति ने भी दिनांक 13.7.2010 को एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें मृतक और उसके परिवार पर उसके और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों का आरोप लगाया गया था। 7.03.2013 को, प्रतिवादी-पत्नी ने मृतक के खिलाफ एक और कार्यवाही शुरू की। आरोप है कि आपराधिक मामले में झूठे फंसाए जाने के कारण मृतक को लगातार गिरफ्तारी और उत्पीड़न का डर सता रहा था। इसके बाद कहा जाता है कि मृतक और प्रतिवादी - पत्नी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें उसने उपरोक्त किसी भी घटना को दोबारा न दोहराने का वादा किया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने फिर से आईपीसी की धारा 147, 323, 341 और 351 के तहत मृतक और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152 वर्ष 2013 दर्ज की। यहां यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि प्रतिवादी - पत्नी ने भी अपीलकर्ता के मृत बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था। यह आरोप लगाया गया है कि 8.7.2013 को, पत्नी और आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगातार अपमान और पीड़ा के कारण, अपीलकर्ता के बेटे (बृजेश सिंह) ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि आत्महत्या करने से पहले मृतक ने दो सुसाइड नोट लिखे थे, जिन्हें यहां दर्ज करना जरूरी है।

सुसाइड नोट 1 मेरी पत्नी खुशबू और उसके माता-पिता और परिवार के सदस्य शादी के बाद से ही मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम डकैत हैं और हम तुम्हें मार देंगे और दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मामले भी दायर किए हैं। मेरी पत्नी खुशबू का उसके पड़ोस में रहने वाले एसआई गजाधर के दूसरे बेटे राजकुमार के साथ अवैध संबंध हो गया है और फौजी के बेटे राजेश अग्रवाल और अन्य लोग भी उन्हें सुविधा/मदद करते रहते हैं। मेरी पत्नी, मेरे ससुराल वाले

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और ये लड़के मेरे माता-पिता की फैक्ट्री और घर को हड़पना चाहते हैं, यही कारण है कि वे हमें प्रताड़ित करते रहते हैं और मुझे और मेरे माता-पिता को मेरे बेटे से मिलने नहीं देते हैं। मेरी शादी के बाद से ही मैं और मेरे माता-पिता गहरी पीड़ा में हैं। फैक्ट्री में कुल निवेश मेरे पिता द्वारा किया गया है और मैंने एक भी पैसे का योगदान नहीं दिया है। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं लेकिन उसे मुझसे और मेरे माता-पिता से कोई लगाव नहीं है इसलिए उसके माता-पिता हमें धमकाते रहते हैं और झूठी शिकायत दर्ज कराते रहे और मेरे माता-पिता और मेरी बहन को झूठे मामलों में फंसाकर घर और फैक्ट्री हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। (संशोधन प्रदत्त) सुसाइड नोट 2 मेरी पत्नी खुशबू ने अपने पड़ोस में रहने वाले एसआई गजोधर के दूसरे बेटे राजकुमार, राजेश अग्रवाल, अपने माता-पिता और अन्य ससुराल वालों के प्रभाव में आकर मेरे, मेरे माता-पिता और मेरी बहनों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया है। जिसके कारण मैं गहरे मानसिक तनाव में हूं। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये सभी मेरे माता-पिता का घर और फैक्ट्री हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मेरे माता-पिता बूढ़े हैं और कृपया उनकी मदद की जाए। फैक्ट्री में पूरा निवेश मेरे पिता ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किया है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरी पत्नी यह सब हड़प कर दिल्ली भाग जाना चाहती है और आए दिन हमारे साथ गाली-गलौज करती रहती है और जान से मरवाने की धमकी भी देती है। वह हमें मेरे बेटे से मिलने नहीं देती। मैंने हमेशा अपनी पत्नी से प्यार किया है। उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। उसे मेरे माता-पिता के घर से निकाला जा सकता है। मेरे माता-पिता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए (एसआईसी) (पुनः आपूर्ति की गई)।

4. इस संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी-पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उसके बेटे को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ी।

5. 11.03.2014 को, पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि सुसाइड नोट फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की लिखावट से मेल खाते पाए गए।

6. आरोपी प्रतिवादियों के विरुद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने से व्यथित उन्होंने आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 318 वर्ष 2013 को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की।

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा, उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का कथित अपराध नहीं बनाया गया था। इस मामले की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उच्च न्यायालय के तर्क पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ए. न्यायालय की राय थी कि सुसाइड नोट विभिन्न मुकदमेबाजी और आपराधिक शिकायतों का संदर्भ देता है जो मृतक के कार्यों का परिणाम थे और उसे परेशान करने के उद्देश्य से दायर नहीं किए गए थे।

बी. प्रतिवादी-पत्नी द्वारा व्यभिचार से संबंधित आरोप रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

सी. समझौता शपथ पत्र में मृतक के बुरे आचरण एवं शराब की लत को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

डी. सुसाइड नोट में शामिल आरोपों से आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने की सामग्री का खुलासा नहीं हुआ।

इ. यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी का मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने का इरादा था।

एफ. सुसाइड नोट में मृतक द्वारा अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या करने की बात स्वीकार की गई है।

8. आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, मृतक के पिता (यहाँ अपीलकर्ता) ने इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दिए बिना प्रारंभिक स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह समय से पहले था। उन्होंने यह दर्शाने के लिए स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है कि जांच जारी रखने के लिए प्रथम दृष्टया मामला था।

10. इसके विपरीत प्रतिवादियों की ओर से वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि आत्महत्या मृतक ने स्वयं की थी और दोनों मामलों में उत्तरदाता किसी भी दोष से परे थे क्योंकि मृतक पर थोपा गया मुकदमा पूरी तरह से उसके अपने कार्यों और व्यवहार के लिए जिम्मेदार था।

11. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा उचित जांच किए बिना समय से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, अब यह स्पष्ट नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करते समय सीआरपीसी की धारा 482 का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। इस अदालत ने कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रद्द कर दिया है कि ऐसे मामलों में जांच जारी रखना केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस मामले में, अदालत ने उस जांच को रद्द कर दिया, जिसमें आत्महत्या से पहले मृतक की किसी पूर्व मानसिक स्थिति के अस्तित्व या गैर-मौजूदगी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों का पता लगाने की आवश्यकता थी।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

12. हम फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से अवगत हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक की लिखावट और सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट में समानताएं हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार है:

जांच के दौरान अस्पताल से मृतक ब्रिजेश सिंह की सूचना प्राप्त कर मृत्यु प्रथम सूचना रिपोर्ट 15/13 धारा 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान घटना स्थल से लिखावट बरामद हुई, जिसे शिकायतकर्ता ने अपने बेटे की लिखावट के रूप में पहचाना और उसे हिरासत में ले लिया गया। शिकायतकर्ता मुंशी राम, गवाह श्री अजय कुमार, हाकम सिंह, श्रीमती ओमबती, श्रीमती रेखा, श्रीमती मीना, श्रीमती पुष्पा और श्री शेर सिंह के धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए। इसके बाद मुंशीराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 318/2013 दर्ज करायी। मृतक का पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा किया गया और इस दौरान मृतक के हाफ पैंट से लिखित अहस्ताक्षरित नोट बरामद किया गया और उसे भी कब्जे में ले लिया गया। पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों को कब्जे में ले लिया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया गया। 3.8.2013 को, फ़ाइल को आगे की जांच के लिए विद्वान एसीसी, सदर को भेज दिया गया, जिन्होंने सुसाइड नोट को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। संदिग्ध की कॉल डिटेल प्राप्त की गई और 17.2.2014 को मुख्य फाइल लर्नड एएसीपी, वैशाली नगर को सौंपी गई। सुसाइड नोट के संबंध में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। 18.2.2014 को मामले की फाइल आगे की जांच के लिए उपायुक्त को भेजी गई, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत श्रीमती श्रावणी देवी, श्रीमती विमला देवी, श्रीमती कलावती, श्रीमती राधा अग्रवाल, श्रीमती मंजू चौधरी, श्री दीपाक्षी उर्फ चारू, श्री हरीश अग्रवाल के बयान लिए। उपायुक्त द्वारा कांड संख्या 318/13 में डीसीपी के आदेश संख्या 8225-27 के अनुसार की गई जांच के आधार पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि आरोपी व्यक्ति (1) खुशबू (2) धर्मपाल (3) श्रीमती सुशीला (4) हवा सिंह ने धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध किया है। इस मामले में आरोपी श्रीमती खुशबू पत्नी ब्रिजेश सिंह पुत्री धर्मपाल सिंह जाति बावरिया, उम्र 25 वर्ष, सुशीला पत्नी श्री धर्मपाल सिंह जाति बावरिया, उम्र 43 वर्ष और धर्मपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह जाति बावरिया, उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ बाकी है।

आरोपी हवा सिंह के फरार होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और 8.8.2014 से माननीय उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगा दी है।

तथ्यों की स्टेटस रिपोर्ट आपको भेजी जा रही है।

(जोर दिया गया)

13. इस तथ्य के आलोक में कि जांच लंबित थी और ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की आवश्यकता हो सकती है, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट को शुरुआत में ही रद्द करके गलती की। हम मृतक की स्थिति और आत्महत्या करने के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए कुछ तथ्यात्मक दावों

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के संबंध में आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए कारणों से सहमत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उक्त की स्वीकृति इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं होगी।

14. यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि यहां की गई किसी भी टिप्पणी को गुण-दोष के आधार पर की गई टिप्पणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और हम जांच प्राधिकारी के साथ-साथ अदालत को भी यहां किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं।

15. इसलिए, हम लागू फैसले को रद्द करते हैं और जांच अधिकारियों को जांच को तत्परता से पूरा करने और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश देते हैं। तदनुसार, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत की गई।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019



अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"